

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

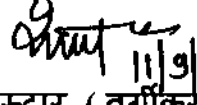
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1702 /2020 दिनांक 11.09.2020

श्री अनिल कुमार आर्य (RJ0274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा को दिनांक 24.08.2020 से 26.08.2020 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

11/9/2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/98/1996/3519 दिनांक : 11.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा को उनके पत्रांक 683 दिनांक 27.08.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कुमार आर्य (RJ0274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।


सहायक रजिस्ट्रार